न्यायालय :— श्री गुलापन राम यादव, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अम्बिकापुर, जिला—सरगुजा (छ0ग0)	
निर्णय दिनांक— 30 मई 2026 आपराधिक प्रकरण क्र.—2859/2022 संस्थित दिनांक—10/10/2022 थाना—दरिमा अपराध क्रमांक—41/2022	
अभियोजक—	**छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र—दरिमा**
अभियोजन की ओर से—	**श्री ए. टोप्पो, ए0डी0पी0ओ0।**
अभियुक्त/अभियुक्तगण—	1. महेश सोनी आ० स्व० आर०पी० सोनी, उम्र 48 वर्ष निवासी—मिशन चौक केदारपुर अम्बिकापुर थाना अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग०
अभियुक्त/गण की ओर से—	अधिवक्ता श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव

घटना का दिनांक—	04/03/2022
रिपोर्ट दर्ज कराने की तिथि—	05/03/2022
अभियोगपत्र प्रस्तुति की तिथि—	10/10/2022
आरोप विरचित करने की तिथि—	23/04/2025
साक्ष्य प्रारंभ तिथि—	04/08/2025
अंतिम तर्क हेतु तिथि—	30/05/2026
निर्णय की तिथि—	30/05/2026
दोषसिद्धि/दोषमुक्ति	दोषमुक्ति

अभियुक्त का विवरण

क्र.	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी दिनाक	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोपित धाराएं	दोषसिद्धि/दोषमुक्ति	धारा—428 दं0प्र0संहिता के तहत सजा में मुजरा की गई अवधि
1	महेश सोनी	13.05.2022	13.05.2022	452, 294, 506 भाग 2, 323 व 427 भा0द0सा0	दोषमुक्ति	निरंक

–:अनुक्रमणिका:–

क0	विवरण	पेज नम्बर
1	निर्णय का शीर्षक–	1
2	अधिवक्ता की उपस्थिति–	1
3	आरोप	2–3
4	स्वीकृत तथ्य–	–
5	अभियोजन कथानक–	4–5
6	कारण एवं निष्कर्ष–	8–14
7	सजा–	–
8	संपत्ति का व्ययन–	14
9	धारा–428 दं0प्र0संहिता के तहत प्रमाणपत्र–	15
10	निर्णय की प्रतिलिपि	1

//निर्णय//

(आज दिनांक– 30/05/2026 को घोषित)

1– आरोपी के विरूद्ध धारा 452, 294, 506 भाग–2, 323 एवं 427 भा०द०सं० के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 04.03.2022 को समय लगभग 21.00 बजे, स्थान–करजी चौक मटन दुकान के पास, अंतर्गत थाना दरिमा, जिला सरगुजा छ०ग० में प्रार्थी गुलशन दास के रिहायशी दुकान में प्रार्थी को उपहति कारित

करने की तैयार पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं लोक स्थान या उसके समीप प्रार्थी को मां–बहन की अश्लील गालियां देकर प्रार्थी गुलशन दास एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं उसने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं उसी घटना दिनांक एवं स्थान में प्रार्थी गुलशन दास, विकास दास, आनंद दास एवं प्रदीप को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया एवं प्रार्थी गुलशन दास के आधिपत्य की कार क्रमांक जे०एच० 01 ई एच 0519 के शीशा को तोड़ दिए, जो कि 50/–रूपये से अधिक मूल्य की संपत्ति है, को नुकसान पहुंचाकर रिष्टि कारित किया।

2– प्रकरण में उभयपक्ष के द्वारा राजीनामा किया जा चुका है। राजीनामा के आधार पर आरोपी को धारा 294, 506, 323 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

3– अभियोजन का मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी गुलशन दास पिता स्व० कृष्णा दास उम्र 28 वर्ष साकिन चिताबहार का दिनांक 05.03.2022 को थाना आकर एफ० आई० आर० दर्ज कराया कि दिनांक 04.03.2022 के रात्र में मेरे बिरयानी सेंटर दुकान में आकर महेश सोनी व उनके अन्य साथियों के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर मां बहन की गंदी गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देते दुकान अंदर प्रवेश कर हाथ मुक्का से मुझे व मेरे अन्य साथियों को मारपीट किये हैं कि रिपोर्ट पर अपराध सदर धारा का कायम कर विवेचना में लिया गया । दौरान विवेचना तलब प्रार्थी, कथन प्रार्थी, निरीक्षण घटनास्थल, तैयार नजरी नक्शा, कथन गवाहन किया गया । दौरान जांच में प्रार्थी व अन्य गवाहों के द्वारा महेश सोनी के अन्य साथियों का नाम की जानकारी नहीं होना बताये ।

4- प्रकरण में महेश सोनी को तलब किया गया जो अपना हाई कोर्ट बिलासपुर से अग्रिम बेल आदेश कागज के साथ थाना उपस्थित आया, जो आरोपी महेश सोनी पिता आर०पी० सोनी उम्र 48 वर्ष मिशन चौक केदारपुर के विरूद्ध अपराध सदर धारा का

अपराध सबूत पाये जाने से औपचारिक गिरफतारी कर जमानत मुचलका पर छोड़ा गया । प्रकरण में प्रार्थी गुलशन दास को नोटिस देकर अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी चाहा गया जो अन्य आरोपियों का नहीं होना लिखित में दिया । जिसका पूरक कथन पुनः लिया गया तथा आरोपी महेश सोनी से भी नोटिस देकर प्रकरण के अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी चाहा गया जो घटना कारित समय महेश सोनी स्वयं अकेले रहना लिखित में दिया । लिहाजा प्रकरण में धारा 34 भा०द०वि० की कोई आरोपी का नहीं होना पाये जाने से से वरिष्ठ अधिकारी से मौखिक राय लेकर धारा 34 भा०द०वि० प्रकरण से हटाई गई । प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया ।

5– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 452, 294, 506 भाग–2, 323 एवं 427 भा०द०सं० के तहत अपराध बनना पाये जाने पर उक्त धारा के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने

पर अभियुक्त ने जर्म अस्वीकार कर विचारण का अभिवाक किया । अभियुक्त का अभिवाक् उनके शब्दों में दर्ज किया गया ।

6– साक्ष्योपरांत दं०प्र०सं० की धारा 313 के तहत अभियुक्त कथन तैयार कर अभियुक्त का परीक्षण किया गया । जिस पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होने एवं झूठा फंसाये जाने का कथन किया तथा प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया ।

7– प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है कि:–

1. क्या आरोपी ने दिनांक 04.03.2022 को समय लगभग 21.00 बजे, स्थान–करजी चौक मटन दुकान के पास, अंतर्गत थाना दरिमा, जिला सरगुजा छ०ग० में प्रार्थी गुलशन दास के रिहायशी दुकान में प्रार्थी को उपहति कारित करने की तैयार पश्चात प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने दिनांक 04.03.2022 को समय लगभग 21.00 बजे, स्थान–करजी चौक मटन दुकान के पास, अंतर्गत थाना दरिमा, जिला सरगुजा

छ0ग0 में लोक स्थान पर या उसके समीप प्रार्थी गुलशन दास को मां–बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

3. क्या आरोपी ने दिनांक 04.03.2022 को समय लगभग 21.00 बजे, स्थान–करजी चौक मटन दुकान के पास, अंतर्गत थाना दरिमा, जिला सरगुजा छ0ग0 में प्रार्थी गुलशन दास को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

4. क्या आरोपी ने दिनांक 04.03.2022 को समय लगभग 21.00 बजे, स्थान–करजी चौक मटन दुकान के पास, अंतर्गत थाना दरिमा, जिला सरगुजा छ0ग0 में प्रार्थी गुलशन दास, विकास दास, आनंद दास एवं प्रदीप को हाथ मुक्का से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

5. क्या आरोपी ने दिनांक 04.03.2022 को समय लगभग 21.00 बजे स्थान करजी चौक मटन

दुकान के पास अंतर्गत थाना दरिमा जिला सरगुजा छ०ग० में प्रार्थी गुलशन दास के आधिपत्य की कार क्रमांक जे०एच० 01 ई०एच० 0519 के शीशा को तोड़ दिए, जो कि 50/–रूपये से अधिक मूल्य की संपत्ति है, को नुकसान पहुंचाकर रिष्टि कारित किया ?

–: विवेचना निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार :–

//विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 से 5 का सकारण निष्कर्ष//

8– विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 से 5 एक दूसरे से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से सभी प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है । अभियोजन द्वारा सर्वप्रथम गुलशन दास का परीक्षण अ०सा–1 के रूप में किया गया । इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया कि वह आरोपी महेश सोनी को जानता है आरोपी उसका पड़ोसी है । घटना वर्ष 2022 की है । वह अपने दुकान में था, तब अरोपी महेश सोनी के साथ उसका विवाद हो गया था । आरोपी महेश सोनी उसे मां बहन की गाली एवं जान से मारने की धमकी नहीं दिया था । आरोपी उसके दुकान के अंदर घुस कर उसके तथा उसके

मित्रों के साथ मारपीट नहीं किया था । आरोपी उसके स्वामित्व की वाहन कार को तोड़ फोड़ नहीं किया था । वह आरोपी महेश सोनी से विवाद हो जाने के कारण आरोपी से नाराज हो गया था और आरोपी के विरूद्ध दरिमा थाना में जाकर लिखित में रिपोर्ट दर्ज करा दिया था । पुलिस वाले उसके लिखित रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपी महेश सोनी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज किये थे ।

9– साक्षी को लिखित आवेदन प्र०पी–1 दिखाए जाने पर उसके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी–2 दिखाए जाने पर उसके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । पुलिस वाले जांच पड़ताल करने के लिए नहीं गये थे तथा उसके समक्ष कोई नक्शा तैयार नहीं किये थे । साक्षी को नजरी नक्शा प्र०पी–3 दिखाए जाने पर उसके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । उक्त हस्ताक्षर उसने पुलिस वालों के कहने पर किया था । पुलिस वाले साक्षी के द्वारा पेश करने पर उसकी वाहन कार क्रमांक जे०ए० 01 ई एच 0519 को जप्त किये थे । जप्ती पत्रक प्र०पी–4 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसे

आज याद नही है कि पुलिस वाले नुकसानी पंचनामा तैयार किये थे अथवा नहीं । साक्षी को नुकसानी पंचनामा प्र०पी–5 दिखाए जाने पर उसके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । उक्त हस्ताक्षर भी वह पुलिस वालों के कहने पर थाना दरिमा में किया था । उसका कोई इलाज नहीं हुआ था । उसे आज याद नही है कि उसने पुलिस को कोई बयान दिया था अथवा नहीं ।

10– इसी साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि दिनांक 04.03.2022 को समय 21.00 बजे स्थान ग्राम करजी चौक मटन दुकान के पास उसके दुकान में आरोपी महेश सोनी जबरदस्ती घुस कर उसके साथ मां बहन की गंदी गंदी गाली, जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ मारपीट किया था । साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी महेश सोनी, विकास दास, आनंद दास एवं प्रदीप के साथ भी हाथ–मुक्का से मारपीट कर चोट पहुंचाया था । साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि दिनांक 08.03.2022 को पुलिस वाले उसके द्वारा पेश करने पर उसके स्वामित्व को उपरोक्त कार को जप्त किये थे । साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी के द्वारा

उसकी कार में तोड़ फोड़ कर दिया गया था, जिससे उसे 22 हजार रूपये का नुकसान हुआ था उक्त संबंध में पुलिस वाले उसके समक्ष नुकसानी पंचनामा तैयार किये थे। साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि आरोपी उसका पड़ोसी है, आरोपी से उसका संबंध मधुर हो गया है तथा वह बिना किसी डर, दबाव एवं लालच के आरोपी से राजीनामा कर रहा है और आरोपी के विरुद्ध आगे प्रकरण नहीं चलाना चाहता है ।

11– अभियोजन साक्षी प्रदीप राजवाड़े अ०सा–2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया कि वह आरोपी महेश सोनी को जानता है आरोपी उसका पड़ोसी है । आहत आनंद दास एवं गुलशन को भी जानता है, वे दोनों लोग भी उसके पड़ोसी हैं । घटना वर्ष 2022 की है । आरोपी से उनलोगों से विवाद हो गया था । आरोपी उनलोगों को मां बहन की गंदी गंदी गालियां एवं जान से मारने की धमकी नही दिया था तथा मारपीट नहीं किया था । आरोपी आहत गुलशन दास की दुकान में नहीं घुसा था तथा उसकी कार को भी तोड़ फोड़ नहीं किया था । आरोपी से विवाद हो जाने के कारण वे लोग नाराज हो हो गये थे और आरोपी के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट कर दिए थे । आरोपी उसका पड़ोसी

है, आरोपी से उसका संबंध मधुर हो गया है। वह आरोपी से बिना किसी डर, दबाव एवं लालच के समझौता कर रहा है तथा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता है।

12– अभियोजन साक्षी विकास राजवाड़े अ०सा–3 ने अपनी न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया कि वह आरोपी महेश सोनी को जानता है आरोपी उसका पड़ोसी है। आहत आनंद दास एवं गुलशन को भी जानता है, वे दोनों लोग भी उसके पड़ोसी हैं। घटना वर्ष 2022 की है। आरोपी से उनलोगों से विवाद हो गया था। आरोपी उनलोगों को मां बहन की गंदी गंदी गालियां एवं जान से मारने की धमकी नही दिया था तथा मारपीट नहीं किया था। आरोपी आहत गुलशन दास की दुकान में नहीं घुसा था तथा उसकी कार को भी तोड़ फोड़ नहीं किया था। आरोपी से विवाद हो जाने के कारण वे लोग नाराज हो हो गये थे और आरोपी के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट कर दिए थे। आरोपी उसका पड़ोसी है, आरोपी से उसका संबंध मधुर हो गया है। वह आरोपी से बिना किसी डर, दबाव एवं लालच के समझौता कर रहा है तथा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता है।

13– अभियोजन साक्षी आनंद दास अ०सा–4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी महेश सोनी को जानता है आरोपी उसका पड़ोसी है । आहत विकास एवं गुलशन को भी जानता है, वे दोनों लोग भी उसके पड़ोसी हैं । घटना वर्ष 2022 की है । आरोपी से उनलोगों से विवाद हो गया था । आरोपी उनलोगों को मां बहन की गंदी गंदी गालियां एवं जान से मारने की धमकी नही दिया था तथा मारपीट नहीं किया था । आरोपी आहत गुलशन दास की दुकान में नहीं घुसा था तथा उसकी कार को भी तोड़ फोड़ नहीं किया था । आरोपी से विवाद हो जाने के कारण वे लोग नाराज हो हो गये थे और आरोपी के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट कर दिए थे । आरोपी उसका पड़ोसी है, आरोपी से उसका संबंध मधुर हो गया है । वह आरोपी से बिना किसी डर, दबाव एवं लालच के समझौता कर रहा है तथा आरोपी के विरूद्ध प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता है ।

14– उपरोक्त साक्ष्य समीक्षा से दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षी गुलशन तिग्गा अ०सा.1 ने सूझाव प्रश्न पूछे जाने पर यह अस्वीकार किया है कि आरोपी महेश सोनी जबरजस्ती उनके दुकान में घुस कर

गाली गलौज एवं मारपीट तथा कार को फोड़कर नुकसान कारित किया है । उपरोक्त परिस्थिति में आरोपी के विरूद्ध धारा 452 एवं 427 भा०द०स० का आरोप युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता । अतः **आरोपी महेश सोनी** को संदेह का लाभ देते हुए आरोपित आरोप **धारा 452 एवं 427 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप से **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है ।

15– अभियुक्त के जमानत एवं मुचलके निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदार को उसके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है । अभियुक्त के द्वारा धारा 437 क दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत एवं बंधपत्र 6 माह तक प्रवर्तनशील रहेंगे ।

16– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन कार क्रेटा क्र० जे०एच० 01 ई एच 0519 को वाहन स्वामी को हिफाजतनामा पर दिया गया है । उक्त हिफाजतनामा सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित किया जाता है ।

17– अभियुक्त के द्वारा अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान अभिरक्षा में बितायी गई अवधि के संबंध में धारा 428 दं०प०सं० के तहत पृथक से निरोध तालिका निर्मित की जावे ।

प्रकरण समाप्त ।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित मेरे निर्देश पर टंकित । किया गया एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया ।

GULAPAN RAM YADAV
Digitally signed by GULAPAN RAM YADAV
Date: 2026.05.30 16:26:24 +0530

(श्री गुलापन राम यादव)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अम्बिकापुर जिला–सरगुजा छ०ग०

GULAPAN RAM YADAV
Digitally signed by GULAPAN RAM YADAV
Date: 2026.05.30 16:26:31 +0530

(श्री गुलापन राम यादव)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अम्बिकापुर जिला–सरगुजा छ०ग०

निरोध अवधि का प्रमाण पत्र
धारा 428 द0प्र0सं0
(प्रमाण पत्र अंतर्गत धारा 428 दं0प्र0सं0)

क्र0	अभियुक्त गण का नाम	गिरफ्तारी दिनाक	जमानत पर छूटने की तिथि	न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने की अवधि	पुलिस अभिरक्षा में निरूद्ध रहने की अवधि	कुल निरोध अवधि
1	महेश सोनी	13.05.2022	13.05.2022	निरंक	निरंक	निरंक

GULAPAN RAM YADAV
Digitally signed by GULAPAN RAM YADAV
Date: 2026.05.30 16:27:06 +0530

(श्री गुलापन राम यादव)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अम्बिकापुर जिला-सरगुजा छ०ग०